उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(लेखा परीक्षा)अनुभाग-1
संख्या-1/2020/आडिट-1-21 /दस-2020-320(4)/2018
लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री विवेक कुमार सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	जनपद झांसी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, ललितपुर।
2	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	जनपद श्रावस्ती	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बलरामपुर।
3	श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	सहकारी चीनी मिल, घोसी, मऊ	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बलिया।
4	श्री विद्याशंकर द्विवेदी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	जनपद अमेठी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सुलतानपुर
5	श्री रोबिन रस्तोगी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	जनपद कानपुर देहात	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, औरैया।

2- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारियों को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-1/2020/आडिट-1-21(1)/दस-2020-320(4)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4- सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।